न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 168/2014
CIS No. :— TS/174/2018
CNR :— BRWC22–000138–2018

ध्रुव चौधरी एवं अन्य **बनाम्** शेख नवाब एवं अन्य

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
21.03.2022	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी व प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांक 21.03.2022 आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता समर्थित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। वादी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 21.03.2022 के निस्तारण पर बल दिया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र दिनांक 21.03.2022 पर सुना गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**—21.03.2022 वादी के द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 21.03.2022 आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता समर्थित शपथपत्र वादी संख्या 1 ध्रुव चौधरी की मृत्यु दिनांकित 12.02.2022 को हो जाने के पश्चात वादी संख्या 1 ध्रुव चौधरी के स्थान पर उनके विधिक प्रतिनिधिगण को प्रतिस्थापित कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। वादी संख्या 1 ध्रुव चौधरी के विधिक प्रतिनिधि 1—ललन चौधरी, 2—प्रमोद चौधरी एवं 3—पुशकर चौधरी हैं। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति की गई है। उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया। अभिलेख के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी संख्या 1 ध्रुव चौधरी की मृत्यु उपरान्त उपरोक्त प्रतिस्थापना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादी संख्या 1 ध्रुव चौधर की मृत्यु की तिथि दिनांक 12.02.2022	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 168/2014
CIS No. :— TS/174/2018
CNR :— BRWC22–000138–2018

ध्रुव चौधरी एवं अन्य **बनाम्** शेख नवाब एवं अन्य

लगातार **21.03.2022**	अंकित है। उपरोक्त प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है तथा समयावधि के अन्दर है। प्रतिवादी की ओर से वादी संख्या 1 ध्रुव चौधरी के वारिसानो के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः प्रार्थनापत्र दिनांकित 21.03.2022 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रतिस्थापना प्रार्थनापत्र दिनांक—21.03.2022 स्वीकार किया जाता है। वादी वादपत्र में वांछित संशोधन/प्रतिस्थापना विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर करना सुनिश्चित करे। अभिलेख वास्ते अग्रिम कार्यवाही/प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक—23.03.2022 को पेश हो। (मानस कुमार) अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज।	